

राजस्थान सरकार
जन अभियोग निराकरण विभाग

क्रमांक: प. 3(8)आरपीजी/2019

जयपुर, दिनांक 28/6/19

आदेश

श्री राकेश कुमार लाटा, (माध्यमिक शिक्षा) शिक्षा विभाग, अजमेर हाल जिला साक्षरता एवं सतत शिक्षा अधिकारी, सीकर की सेवाएं प्रथमतः एक वर्ष के लिये सहायक निदेशक, लोक सेवाएं, सीकर के रिक्त पद पर प्रतिनियुक्ति पर लिये की शासकीय स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

श्री राकेश कुमार लाटा की प्रतिनियुक्ति राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 144 एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी संशोधन/परिपत्र के अध्याधीन होगी। श्री लाटा को प्रतिनियुक्ति पर लिये जाने हेतु शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग की सहमति प्राप्त कर ली गई है।

आज्ञा से,

(मधु शर्मा)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, जन अभियोग निराकरण विभाग, जयपुर
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, जन अभियोग निराकरण विभाग
3. प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा (माध्यमिक शिक्षा) विभाग, जयपुर
4. जिला कलेक्टर, सीकर
5. निदेशक, साक्षरता एवं सतत शिक्षा, जयपुर
6. कोषाधिकारी, सीकर
7. श्री राकेश कुमार लाटा, (माध्यमिक शिक्षा) शिक्षा विभाग, हाल जिला साक्षरता एवं सतत शिक्षा अधिकारी, सीकर
8. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव